



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल अधिकारी महोदय
ग्वालियर, केम्प सागर म.प्र.

11-3-16

श्रीमति वर्षा पत्नि कमलेश चदर

निवासी : ग्राम सिद्धगुवाँ तह. व जिला सागर

.....:पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदिका

विरुद्ध

म.प्र. शासन

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू. रा. सं. 1959

माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय अधीनस्थ नायब तहसीलदार सर्किल परसोरिया के समक्ष लंबित राजस्व प्रकरण कं. 289 बी/121 वर्ष 2015-16 में धारा 248 भू. रा. संहिता के तहत की गई कार्यवाही प्रथम आर्डरशीट दिनांक 30/11/2015 एवं प्रचलनशीलता के बिन्दु पर पारित आदेश दिनांक 10/2/2016 की दूषित एवं अवैधानिक आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है। जो श्रीमान के समक्ष सुनवाई योग्य है।

आवेदिका की ओर से प्रार्थना निम्नानुसार है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि आवेदिका के विरुद्ध माननीय अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष ग्राम सिद्धगुवाँ पटवारी हल्का नंबर 79 में स्थित आवादी भूमि खसरा नंबर 578 में स्थित भूखंड पर आवेदिका द्वारा किये गये आवासीय मकान निर्माण के विरुद्ध हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण बावत प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर आवेदिका के विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही आदेश पत्रिका दिनांक 30/11/2015

11 MAR 2016

श्रीमान राजस्व मंडल अधिकारी महोदय, सागर (म.प्र.)

आवेदिका

श्रीमान राजस्व मंडल अधिकारी महोदय, सागर (म.प्र.)

21

29/03/16

Through

11-3-16

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1429-दो/2016

जिला सागर

वर्षा

विरुद्ध

म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार परसोरिया जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 289/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10-02-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	

(आर.के.जेन)
सदस्य
08/03/19